

हरिजनसेवक

दो आना

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १७

सम्पादक : मगनभायी प्रभुदास देसाजी

अंक ३२

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभायी देसाजी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-९

अहमदाबाद, शनिवार, ता० १० अक्टूबर, १९५३

वार्षिक मूल्य देशमें रु० ६
विदेशमें रु० ८; शि० १४

आचार्य कृपलानीसे विनती

आचार्य कृपलानीने दिल्लीसे ता० ३०-९-५३ को मुझे एक लम्बा पत्र लिखा है। इसके लिये मैं उनका आभारी हूँ। उन्होंने ता० २५-९-५३ को बम्बयीमें एक पत्रकार-परिषद्में पारडी सत्याग्रहके बारेमें जो कुछ कहा था, उसके साररूप वक्तव्यकी एक नकल भी अपने पत्रके साथ भेजी है और लिखा है कि "सत्याग्रहियोंको दरअसल जो कुछ कहना है, वह इसमें अच्छी तरह आ जाता है।"

विशेष रूपसे वे कहते हैं कि "अस वक्तव्यमें मैंने एक बात नहीं कही है। वह यह कि श्री मोरारजीभायीने धरमपुरमें जमीन देनेकी सूचना की है। मान लीजिये कि वह जमीन काफी अच्छी है। परन्तु मेरा यह कहना है कि तीनक हजार परिवार पारडीसे अपने घरबार अठाकर दूसरे तालुकेमें जायं, इसके बजाय पारडीके कुछ जमींदार पासके तालुकेमें घासवाली जमीन ले लें यह ज्यादा आसान होगा।"

आचार्य कृपलानीने अपने वक्तव्यमें यह स्पष्ट करनेका प्रयत्न किया है कि खेड सत्याग्रहकी मांग दरअसल क्या है। यह सचमुच आनन्दकी बात है, क्योंकि असा करना बहुत जरूरी था। पत्रकार-परिषद्की रिपोर्ट अखबारोंमें छप चुकी है, इसलिये मैं उसे यहां नहीं देता। उसकी विवादास्पद भाषाको छोड़कर उसमें कही गयी मुख्य बातें संक्षेपमें नीचे देता हूँ। श्री कृपलानीजी उसमें कहते हैं कि,

१. असा कहा जाता है कि आदिवासी किसान खानगी मालिकीके हक पर हमला करना चाहते हैं और जमीनका फिरसे बंटवारा कराना चाहते हैं। लेकिन यह बिल्कुल गलत है।

२. काश्तकार अतना ही चाहते हैं कि जमींदार घासवाली जमीनका अमुक हिस्सा अनाज पैदा करनेके लिये अलग निकाल दें। काश्तकार सिर्फ असा अलग निकाली हुयी जमीन पर खेती करनेकी विजाजत ही चाहते हैं। और इसके बदलेमें वे लोग जमींदारोंको पैदावारका जो भाग प्रथाके अनुसार लगानके रूपमें दिया जाता हो वह देनेके लिये तैयार हैं। जमीन तो आज जिनके अधिकारमें है, अन्हीं जमींदारोंकी मालिकीकी रहेगी।

३. इसलिये सत्याग्रहियोंकी मांग यह है कि आज लगभग ५० हजार एकड़ जो घासवाली जमीन है, उसका दसवां हिस्सा, यानी ५ हजार एकड़ जमीन अनाजकी खेतीके लिये अलग निकालकर काश्तकारोंको लगान पर अठावी जाय। इसमें खानगी मालिकीके हक पर हमला करनेकी कोई बात ही नहीं है।

४. इस प्रश्नकी जड़में जायं तो पता चलेगा कि नयी आर्थिक व्यवस्थाने अिन गांवों पर चढावी की, उसके पहले अिन गांवोंकी ज्यादातर जमीन आदिवासियोंकी ही थी। जमींदार तो उसके बाद पैदा हुये। परन्तु पारडीके आदिवासी अपनी जमीनके

अिस मूल हककी मांग नहीं करते। वे जो जमीन अन्हीं मूलतः विरासतमें मिली हुयी थी, अस पर केवल खेती करनेका ही हक मांगते हैं। और इसके लिये वे जमींदारोंको लगान भी देनेको तैयार हैं।

५. इसके अलावा, खेड सत्याग्रहके नेताओंकी यह भी मांग है कि पारडी विभागके अस संपूर्ण प्रश्नकी जांच करनेके लिये एक कमीशन नियुक्त किया जाय।

६. अैसी जांचके बारेमें श्री विनोबा भी सहमत हैं। और अन्हींने यह भी नहीं कहा कि पारडीका सत्याग्रह भूदानके सिद्धान्तों या कार्यपद्धतिके खिलाफ है।

७. फिर भी भूमिदान-यज्ञके हिमायती समाजवादी पार्टीके सदस्योंके साथ जमींदारोंसे मिलकर ५ हजार एकड़ जमीन लगान पर जोतनेके लिये काश्तकारोंको दिला सकते हैं। वक्तव्यके शब्दोंमें कहूं तो "जहां तक मैं जानता हूँ श्री जयप्रकाश नारायण और दूसरे समाजवादी कार्यकर्ताओंने भूमिदानकी पद्धतिसे ही काम किया है; और मैंने सुना है कि, श्री रविशंकर महाराजने भी अस समस्याको हल करनेके लिये असा ही प्रयत्न किया, लेकिन असका कोई नतीजा नहीं निकला।"

८. इसलिये सारी बातोंका निचोड़ निकाला जाय, तो झगड़ेका मुद्दा बहुत ही छोटा और मामूली-सा रह जाता है। और अगर दोनों तरफ प्रतिष्ठाकी रक्षाका सवाल न पैदा हो, तो यह मामला मैत्रीपूर्ण ढंगसे निबटाया जा सकता है।

अिस तरह थोड़ेमें श्री कृपलानीजीके वक्तव्यकी मुख्य बातें ये हैं। अस परसे पाठक देखेंगे कि सारी बातोंका सार अिन दो बातोंमें आ जाता है:

१. पांच हजार एकड़ जमीन अनाजकी खेतीके लिये काश्तकारोंको लगान पर मिले, असा प्रयत्न करना चाहिये।

२. अस सारे प्रश्नकी जांच होनी चाहिये।

अिनमें से जांचकी बात तो अैसी है कि चाहे तो समाजवादी पार्टी खुद ही जांचका काम अपने हाथमें ले सकती है और असकी रिपोर्ट जनता और सरकारके सामने पेश कर सकती है। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि अैसी जांच यथासंभव शास्त्रशुद्ध और निष्पक्ष हो, तो जनता अस पर विश्वास करेगी। लेकिन अैसी जांच करनी ही हो, तो पहले यह साफ हो जाना चाहिये कि किस बातकी जांच करनी है। क्या अस बातकी जांच करनी है कि पिछले ४-५ सालमें बम्बयीके काश्तकारी कानूनके मुताबिक लोगोंमें क्या काम हुआ और कितनी जमीनोंका कब्जा लिया गया? या आदिवासियोंका जमीन पर जो मूल मालिकी हक कहा जाता है, उसके बारेमें और वह अुनके हाथसे कैसे निकल गया असके न्याय-अन्यायके बारेमें जांच करनी है? या अन्य किसी बातकी जांच करनी है? जो कुछ भी हो, जांच-समितिकी मांगके सम्बन्धमें स्पष्ट व्याख्या हो जाना जरूरी है।

लेकिन मुख्य और महत्वकी मांग तो जमीनकी मानी जायगी। भूमिदानके रूपमें या अन्य किसी तरीकेसे पांच हजार अेकड़ जमीन गरीब आदिवासियोंको दिलवायी जाय; और मैं तो जिस मांगका सार यह समझता हूँ कि प्रजा-समाजवादी पार्टीके कार्यकर्ताओंके साथ मिलकर भूदानके कार्यकर्ता या सरकार यह जमीन आदिवासियोंको जमींदारोंसे दिलवा दें तो भी कोई हर्ज नहीं।

अगर खेड़ सत्याग्रहका हेतु अपूरकी बात कहने और लोगों तथा सरकारके सामने उसे रखनेका ही हो, तो वह हेतु अब पूरा हुआ माना जायगा। मैं मानता हूँ कि अ० भा० प्रजा-समाजवादी पार्टीके नेताने अपूर जो कहा है, वह बम्बयीके अुनके सब साथियोंको मंजूर होगा।

अगर ऐसा हो तो कहा जा सकता है कि सारी बातमें दोनों पक्षोंके बीच कोई बड़ा फर्क नहीं रह जाता। पांच हजार अेकड़ जमीन लगान पर प्राप्त करना हो, तो उसके लिये काम शुरू हो जाना चाहिये। यानी उसके लिये भूदान-प्रवृत्ति फिरसे शुरू होनी चाहिये। परन्तु खेड़ सत्याग्रहने पारडी तालुकेमें जो वातावरण पैदा कर दिया है, वह जिस कामके लिये अनुकूल नहीं माना जा सकता। और जैसा कि श्री विनोबाने अपने अेक प्रवचनमें हाल ही में कहा है, "पारडीमें भूदान-आन्दोलनसे कुछ लाभ नहीं हुआ, ऐसा कहना ठीक नहीं है। जयप्रकाशजीके अेकाध प्रवाससे भूदानको प्रगति करनेका पूरा मौका मिला है, ऐसा नहीं कहा जा सकता।" सरकार भी अपने तरीकेसे जमीन देनेकी तैयारी बता रही है। श्री कृपलानीजी जैसे लोग सरकारसे बात करके यह जान सकते हैं कि सरकारका यह कदम कहां तक जिस समस्याको हल करनेमें सहायक हो सकता है।

यह सब करनेके लिये जरूरत जिस बातकी है कि अब पारडी सत्याग्रहके नेता तुरन्त उसे समेट लें। जिस प्रश्नके शांतिपूर्ण हलके लिये अुठया जानेवाला यह पहला कदम होगा। जिसमें प्रजा-समाजवादी पार्टीको अपनी प्रतिष्ठाकी आड़ नहीं लेनी चाहिये। अगर मैं श्री कृपलानीजीसे विनती कर सकता हूँ, तो मेरी अुनसे नम्र विनती है कि वे खेड़ सत्याग्रह तुरन्त बन्द कर दें और सरकारके साथ बातचीत शुरू करें। तभी जमींदारोंमें भूदानकी प्रवृत्ति पुनः जारी करनेका अुचित वातावरण पैदा होगा, जिससे प्रजा-समाजवादी पार्टीके और दूसरे भूदानके कार्यकर्ता साथ मिलकर काममें लग सकें।

ऐसा ही तो आजकी दुःखद स्थितिसे बाहर निकला जा सकता है और वहां गरीबोंके कल्याणके लिये सब अपने-अपने ढंगसे जो काम करना चाहते हैं, वह फिरसे शुरू हो सकता है। श्री कृपलानीजी अपने पत्रमें मुझे लिखते हैं: "मैं चाहता हूँ कि मित्र-गण व्यक्तियों और पार्टियोंको भूल जायं। क्या हम सब आपसमें मिलकर जिस बातकी सावधानी नहीं रख सकते कि गरीब आदिवासी अन्यायके शिकार न बनें? जिसलिये मैं कांग्रेसके मित्रों और अेक समय जो वापूके साथ काम करते थे, अुन सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे भूल जायं—मेरे अतीत और वर्तमानको भूल जायं और जिस सवालके हलका रास्ता खोजें।"

मेरी प्रार्थना है कि श्री कृपलानीजी जिस मामलेको निबटानेका रास्ता खोजनेमें अपूरके ढंगसे सहायता करें। श्री विनोबाने जिस तरहकी सर्वपक्षीय और सर्वग्राह्य भूमिका पर ही अपना भूमिदान-आन्दोलन खड़ा किया है। उसे फिरसे अुस रास्ते और अुस भूमिका पर ले जानेकी मैं श्री कृपलानीजीसे प्रार्थना करता हूँ।

३-१०-५३

(गुजरातीसे)

मगनभायी देसायी

भूदान-यज्ञ क्यों और कैसे?

[मध्यप्रदेश सरकारने अपने राज्यमें भूदान-यज्ञ कार्यमें मदद देनेके लिये बाकायदा अेक बोर्ड बनाया है। जिस बोर्डको शुरू करनेके अवसर पर अुसके अध्यक्ष श्री श्रीकृष्णदास जाजून जो व्याख्यान दिया अुससे नीचेका हिस्सा लिया गया है। भूदान-प्रवृत्तिमें काम करनेवाले तथा अन्य लोगोंको वह मददरूप होगा ऐसी आशा है।

२-१०-५३

--म० प्र०]

राजनीतिक स्वराज्य मिल जानेके बाद आम जनताको आर्थिक और सामाजिक स्वातंत्र्य मिलनेका प्रश्न देशके सामने जोरोंसे आया। राजनीतिक क्षेत्रमें हरअेक वयस्कको समान 'वोट' देनेका अधिकार प्राप्त होने व अमलमें आने पर आज जो चारों ओर आर्थिक और सामाजिक विषमता चल रही है वह सहन होना संभव नहीं रहा। सदियोंसे गरीबोंका शोषण हो रहा है और भारतके दारिद्र्यने अेक कहावतका रूप धारण कर लिया है। स्वराज्य मिलनेके बाद ६ वर्ष बीत जाने पर भी अुसकी रोशनी गरीबकी झोंपड़ीमें नहीं पहुंच पायी है। जिस दशामें भारतकी आर्थिक समस्या हल करना सर्वोपरि काम हो गया है।

महात्माजीने अहिंसाकी विचारधाराके अनुसार स्वराज्य-प्राप्तिके प्रयत्नके साथ-साथ आर्थिक पहलुओं पर भी जोर दिया था और गुलामीकी दशामें भी जो कुछ बन आया सो कुछ मात्रामें कर दिखाया। परन्तु स्वतंत्र हो जानेके बाद राजसत्ताधिकारी अपनेको अुस मार्गसे जानेमें असमर्थ पाने लगे।

जगतभरमें, विशेषतः पूर्वी जगतमें जो आर्थिक विषमता हटानेकी पुकार मच रही है अुसकी प्रतिध्वनि भारतमें भी गूजने लगी। समस्याको सुलझानेके लिये हिंसाके मार्गका अनुसरण करना अुपयुक्त और संभव नहीं था, श्रेयस्कर भी नहीं था। क्रांतिकारी कानूनमें भी कुछ हिंसा आ ही जाती है और अुसे लोकमतका आधार रहे बिना वह निभना भी कठिन है। अितनेमें अीश्वरने पूज्य विनोबाजी द्वारा भूदान-यज्ञका प्रारम्भ करवाया। जिस यज्ञमें जमींदारोंसे जमीन प्राप्त करना और अुसे भूमिहीनोंको देना यह तो अेक स्थूल अर्थात् बाह्य अंग है। मुख्य बात तो धर्मचक्र-वर्तन अर्थात् अर्थसंबंधी नैतिक विचारधाराको देशमें दृढ़मूल करना है, ताकि भारत सदा अपने सारे प्रश्न अहिंसाके मार्गसे ही हल कर सके और सर्वोदयी समाजकी स्थापना हो सके। अब भूदान-यज्ञ काफी प्रगति कर चुका है और अुसका स्वरूप तथा अुसकी विचार-धारा समझदारोंके खयालमें आ गयी है।

पर बुद्धिमानोंके मनमें यह अेक शंका दीखती है कि क्या जमीनकी सारी समस्या भूदान-यज्ञसे पूर्ण रूपसे सुलझ जायगी? पिछले दो वर्षोंमें जमीनके बारेमें जो हकीकत हुयी है अुस ओर ध्यान देते हुये हमें भूदान-यज्ञसे काफी आशा बंधती है। जिनके पास अधिक जमीन है, वे महसूस करने लगे हैं कि अब अधिक जमीन अुनके पास नहीं रहेगी। जमीन-बिक्रीका सिलसिला बड़े जोरोंसे चल रहा है और वह अब छोटे-छोटे टुकड़ोंमें बिक्री होकर अुन्हींके हाथोंमें जा रही है, जो खुद अपने परिश्रमसे खेती करेंगे। जो दूसरोंकी जमीन कांस्त करते हैं भविष्यमें वननेवाले कानूनके अनुसार अुनसे जमीन वापस नहीं ले सकेंगे, जिस खयालसे बड़े पैमाने पर जो वेदखली शुरू हो गयी थी, वह अब अनेक राज्योंमें मुलतबी हो गयी है और बंद भी होनेकी आशा है। प्लानिंग-कमीशनने यह सिद्धान्त मान लिया है कि जमीनके बारेमें सीलिंग मुकर्रर होकर अधिक जमीन किसीके पास न रहे। हैदराबाद राज्यकी विधान-सभामें जिस आशयके अेक विधेयक पर विचार हो रहा है। आगे पीछे अन्य प्रदेश, राज्योंको भी ऐसा

ही कुछ कदम अठाना होगा। पूज्य विनोबाजी सीलिंगका सिद्धान्त नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि भारतमें 'फ्लोरिंग' चलना चाहिये। जो स्वयं किसानों करके अपनी आजीविका चलाना चाहे और जिसके पास आजीविकाके लिये दूसरा साधन न हो, उसे पेट भरने जितनी जमीन मिलनी चाहिये। जमीनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बंटवारेके लायक अभी जो वातावरण बन रहा है, उसका कारण बहुतांशमें भूदान-यज्ञ ही मानना अचित्त होगा। राज्य-सरकारें जिस काममें अपना हाथ प्रायः कानूनके जरिये ही बंटा सकती हैं। वैसे कानून बनानेकी अनुकूल परिस्थितिका निर्माण वेगसे हो रहा है। पर हमें मुख्य बात तो यह करनी है कि अर्थ-संबंधी और धनकी खानगी मालिकीके बारेमें जनताकी विचारधाराको ही बदलना है, ताकि देशमें नैतिक अर्थशास्त्रकी स्थापना हो सके। यह काम भूदान-यज्ञ और संपत्तिदान-यज्ञसे ही हो सकता है।

भूदान-यज्ञका काम पक्षातीत रखा गया है। साम्यवादी दल और अकाध अन्य समुदायको छोड़कर अन्य सब पक्षवाले जिस यज्ञका समर्थन कर रहे हैं, यथाशक्ति सहयोग भी दे रहे हैं। अपेक्षा रखी गयी है कि वे जब जिस काममें सहयोग देते हैं, तो अपना-अपना पक्ष भूलकर सामान्य सामाजिक कार्यकर्ताके नाते काम करेंगे और जिससे अपने पक्ष विशेषका कोभी हित साधन करनेकी कोशिश नहीं करेंगे। वितरणका काम भी जिसी नीतिसे होगा। वह निष्पक्ष हाथोंमें रखनेका प्रयत्न किया जायेगा और जिनके सुपुर्द किया जायगा, वे निष्पक्ष भावसे ही काम करेंगे।

मैं यह महसूस करता हूँ कि भूमि-वितरणके काममें दो बातोंकी हमें विशेष अड़चन होगी। अंक तो दानपत्रके साथ जोड़नेकी खसरा जमाबंदीकी नकल प्राप्त करना और दूसरी, अगर खेतका केवल हिस्सा दान दिया हो, तो उसे नाप कर अलग टुकड़ा बनाना। यह काम दानदाताको या बोर्डको कर लेना बहुत मुश्किल होगा और उसमें समय भी बहुत लगेगा। जिसलिये वह सरकारी अधिकारी द्वारा ही होना ठीक रहेगा। जिसके अलावा, जिनकी जमीन दी जायगी या बड़े-बड़े चकों पर जौ किसान बसाये जायेंगे, उनको सरकारकी ओरसे कुछ सुविधायें मिलना जरूरी होगा। जिनके बारेमें यह बोर्ड सोच-विचारकर अपने मंतव्य सरकारके सामने यथासमय पेश करेगा। आशा है कि सरकार वे सुविधायें उपलब्ध कर देगी।

शराबबन्दी रद्द नहीं की जा सकती

मद्रास और बम्बई राज्योंमें संपूर्ण शराबबन्दी चल रही है। ऐसी अपेक्षा थी कि दूसरे राज्य भी जल्दी ही जिस नीतिका अनुकरण करेंगे और सारे देशमें संपूर्ण शराबबन्दी हो जायगी। अगर अंग्रेजोंके जाने और केन्द्र तथा राज्योंमें राष्ट्रीय सरकारकी स्थापनाके बाद महात्माजी दो-चार साल और जीवित रहते, तो देशमें ऐसी संपूर्ण शराबबन्दी कभीकी हो गयी होती। सन् १९२० के बादसे, गांधीजीके नेतृत्वमें कांग्रेस जिस बातको लगातार कहती और करती रही, तथा शराबबन्दीके समर्थकों और कांग्रेसके स्वयं-सेवकोंने उसके लिये जो कष्ट अुठाये, उनका खयाल करते हुये यह जरूरी था कि कांग्रेस जिस विषय पर २५ साल तक जो प्रस्ताव पास करती आयी थी उनका अमल करती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शासनकी बागडोर जिन राजनीतिक नेताओंके हाथमें आयी, उन्हें सरकारी अधिकारियोंने आयमें कमी पड़नेका डर दिखाया और जिनका जिस बातमें स्वार्थ था, उनके विशारों पर अुक्त नेताओंको शराबबन्दीका कार्यक्रम स्थगित करनेके लिये राजी कर लिया। दुर्भाग्यसे सरकार और कांग्रेसके सर्वेसर्वा पंडित जवाहरलाल नेहरूने भी राज्योंको यही सलाह दी कि वे जिस दिशामें धीमी गतिसे बढ़ें।

जिन राज्योंने शराबबन्दी कुछ मर्यादित रूपमें शुरू की थी, उनकी चाल और धीमी पड़ गयी। जिसके सिवा, नीतिका अमल सख्तीसे नहीं किया गया, जिससे अुसमें अनेक दोषोंका प्रवेश हो गया और विरोधियोंको मौका मिल गया। वे अिन्हीं दोषोंका हवाला देकर शराबबन्दी खतम करनेकी मांग करने लगे।

अगर शराबबन्दी रद्द करनेके लिये जो कारण पेश किये जाते हैं, उनकी जींच ध्यानपूर्वक की जाय, तो वे ज्यादा देर तक टिक सकें, जैसे नहीं हैं। अगर अिन्हीं कारणोंका प्रयोग दूसरे प्रचलित कानूनोंके विषयमें किया जाय, तो बहुत विचित्र परिणाम निकलते हैं। अुदाहरणके लिये, रिश्वतखोरी और चोरीकी बात लें। सब लोग स्वीकार करते हैं कि हमारे यहां अिन दिनों रिश्वत-खोरी बढ़ी है। कितने लोगोंको यह दुःखद अनुभव आया है कि जब तक पर्याप्त रिश्वत न दी जाय, तब तक कागज अंक दफ्तरसे दूसरे दफ्तरमें, या अुसी दफ्तरमें अंक क्लर्कसे दूसरे क्लर्कके पास नहीं जाते। तो क्या रिश्वतखोरीके खिलाफ हमारे कानूनमें जो धारायें हैं अुन्हें रद्द कर देना चाहिये? छोटी और बड़ी चोरियां भी आज बढ़ती जा रही हैं, तो क्या अुन धाराओंको मंसूख कर देना चाहिये, जो चोरीके लिये सजाका विधान करती हैं।

अभी कुछ दिन हुये, आन्ध्रमें शराबबन्दीके सवाल पर बड़ी चर्चा होती रही। ऐसा कहा गया कि आंध्र राज्य अपना खर्च नहीं अुठा सकेगा। अुसकी आय खर्चसे कम होगी। जिस घाटेकी पूर्ति कैसे की जाय, जिसकी खोज शुरू हुयी। लोगोंकी नजर शराबबन्दी पर गयी। अुन्हें लगा कि शराबबन्दी रद्द कर दी जाय, तो घाटेकी पूर्ति आसानीसे हो सकती है। अखबारोंमें और मंच पर जिस विषय पर काफी लिखा और कहा गया। अुससे करीब ५ करोड़ रुपयेकी आयका अनुमान लगाया गया; बहुत लोगोंको लगा कि जिससे खर्च भी पूरा किया जा सकेगा और जन-कल्याणकी नयी-नयी योजनायें भी जारी की जा सकेंगी। अुन्हें यह याद नहीं रहा कि हमारे दलित और विपन्न देशवासियोंके लिये शराबबन्दी खुद जन-कल्याणकी अंक अुत्तम योजना है। वे यह भी भूल गये कि सन् १९३७ में मद्रासमें पहले कांग्रेसी मंत्रिमंडलने शराबसे होनेवाली आयकी हानिकी पूर्तिके लिये बिक्री-कर शुरू किया था, और जिस बिक्री-करसे होनेवाली आय प्रतिवर्ष बढ़ती चली गयी है।

संविधानमें शराबबन्दीके विषयमें जो कुछ कहा गया है, अुसका ठीक तौर पर अध्ययन किया जाय, तो तटस्थ व्यक्ति जिस नतीजे पर पहुंचे बिना नहीं रह सकता कि जहां शराबबन्दी चल रही है, वहां अुसे रद्द करनेकी कोशिश करनेका किसी सरकारको अधिकार नहीं है। लेकिन यह तो कानूनज्ञों और न्यायाधीशोंके विचारकी बात है। जहां तक रचनात्मक कार्यकर्ताओंकी बात है, देशके और खासकर आंध्रके सारे रचनात्मक कार्यकर्ता शराबबन्दी रद्द करनेके विरुद्ध हैं।

महात्माजीका स्मरण हमें बुद्धि और साहस दे कि हम अपने दुखी भागियोंके अुद्धारके लिये शराबबन्दीकी जिस लड़ाईको जारी रखें और सफल करें।

(अंग्रेजीसे)

स्वामी सीताराम

शराबबन्दी क्यों ?

भारतन् कुमारप्पा

कीमत ०-१०-०

डाकखर्च ०-४-०

नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद - ९

हरिजनसेवक

१० अक्टूबर

१९५३

बेकारी

अभी कुछ दिनोंसे जिस विषयकी बहुत चर्चा हो रही है। यों यह समस्या नयी नहीं है। जिस समस्याके हलके रूपमें कांग्रेसने देशी उत्पादन या स्वदेशीकी बात जिस सदीके शुरूमें ही लोगोंके सामने रखी थी। लेकिन उसका रूप ठीक क्या हो, जिसका स्पष्टीकरण तो गांधीजीकी प्रतिभाने ही किया। गांधीजीने ही पहली बार यह साफ समझा कि पश्चिमी ढंगका औद्योगीकरण हमारे लिये बिलकुल निकम्मा सिद्ध होगा। अन्होंने बेकारीकी जिस समस्याको देश-व्यापी प्रमाण पर सुलझाना शुरू किया, और उसके लिये जो कुछ करना आवश्यक था, उसके प्रतीकके रूपमें सारे देशमें हाथ-कताबी और हाथ-बुनाबीका संघटन किया। गांधीजीने समझ लिया था कि अगर गांधीके आर्थिक जीवनका पुनरुद्धार नहीं किया जाता, और ग्रामोद्योगोंको राष्ट्रके जीवनमें फिरसे अणुका केन्द्रीय स्थान नहीं दिया जाता, तो भारतका नाश अनिवार्य हो जायगा।

अणुका यह विचार क्रान्तिकारी था और आज भी है। दुनियाभरमें सब जगह लोगोंका यह खयाल है कि जैसे हर एक देशके लिये, जो गरीबी और बेकारी मिटाना चाहता है, औद्योगीकरणकी जरूरत है। गांधीजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जिस गलत मान्यताका विरोध किया, औद्योगीकरणके खिलाफ हमें चेतावनी दी, और हमारा ध्यान तथा प्रयत्न ग्रामोद्योगोंकी दिशामें मोड़ा। अन्होंने ऐसा क्यों किया? जिसलिये नहीं कि वे हमें हमेशा गरीब रखना चाहते थे, न जिसलिये कि अन्हें कोबी नबी चीज पसन्द नहीं आती थी और न जिसलिये कि अणुकी प्रकृति संन्यासीकी थी। अणुके खिलाफ जिस तरहकी अपूरी टीकाओं अणु लोगोंने की हैं, जिन्हें या तो अणुके विचार नापसन्द थे या जिन्होंने अणुका अध्ययन ही नहीं किया था। अगर गांधीजी औद्योगीकरणके खिलाफ थे, तो उसका कारण यही था कि अन्होंने देख लिया था कि यद्यपि औद्योगीकरणके जरिये कुछ देशोंने अवश्य असामान्य समृद्धि हासिल की है, किन्तु वह हमारे लिये अपयोगी नहीं होगा; क्योंकि हमारे जैसे देशमें, जहां काम करनेके लिये मनुष्योंकी अतिरिक्त अधिकता है, और जहां औद्योगोंको जहां तक बने खेतीके साथ-साथ, जब खेतोंमें काम नहीं होता, तब करना पड़ता है, औद्योगीकरण अनुकूल नहीं हो सकता। जिसके सिवा, औद्योगीकरणसे एक ओर तो पूंजीपतियोंके हाथोंमें सत्ताका खतरनाक केन्द्रीकरण होता है, जिससे मजदूर आजादी और आनन्द खोकर गुलाम बनता है; और दूसरी ओर विभिन्न देशोंके बीच कच्चे माल और बाजारोंकी प्राप्तिके लिये होड़ पैदा होती है, जिससे आन्तरराष्ट्रीय अशान्ति और युद्धको अत्तेजन मिलता है। औद्योगीकरणके खिलाफ ये बहुत सबल आक्षेप हैं, और अभी तक किसीने भी अणुका संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। अब तो हमारे देशमें, खासकर गांधीजीकी मृत्युके बाद, लोकमत भी जिस विचार पर आरुढ़ होता जा रहा है कि अगर हम अपने लोगोंको पूरा काम देना चाहते हैं, तो हमें ग्रामोद्योगों और गृह-औद्योगों पर जितना बने अतना अधिक ध्यान देना चाहिये और बड़े पैमाने पर होनेवाले कारखानोंके उत्पादनसे बचना चाहिये। अलबत्ता जहां वह अनिवार्य हो, वहां उसका प्रयोग किया जा सकता है।

लेकिन जहां एक तरफ यह प्रवृत्ति बढ़ रही है, वहां अणुके खिलाफ यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस सरकारमें — जिससे हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर गांधीजीके नेतृत्वका अनुगमन करनेकी अुम्मीद करते हैं — व्यवसाय और औद्योगिके मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारीने कुछ दिन पहले एक वाद-विवादके दौरानमें, कॉंसिल ऑफ स्टेट्समें, अखबारोंमें आयी रिपोर्टके अनुसार, यह मतव्य प्रगट किया कि अणुका यह निश्चय बढ़ता जा रहा है कि सिर्फ औद्योगीकरणसे ही शहरी और ग्रामीण बेकारीका सत्राल हल हो सकता है। जिस अकाट्य हकीकतका खयाल करते हुये कि यंत्रोंके अपयोगमें मजदूरोंकी कमी अवश्य होती है, और यदि औद्योगीकरण हम अितने बड़े प्रमाण पर करना चाहें कि अणुमें हमारे सब लोगोंको पूरा काम मिले, तो जिसके लिये दुनियाकी तत्सम्बन्धी कच्ची अपुज और बाजारों पर हमारा पर्याप्त नियंत्रण होना चाहिये, और ऐसा नियंत्रण बेजोड़ सैनिक ताकत, साम्राज्यवाद और युद्धके बिना नहीं हो सकता — जिस हकीकतका खयाल करते हुये अणु मंत्री महोदयका यह मतव्य सचमुच बहुत अजीब मालूम होता है।

ऐसी हालतमें, व्यवसाय और औद्योग-मंत्रीकी जिस घोषणाके वावजूद अगर गांधीजीके वताये हुये कारणोंके अनुसार हमारी यही राय है कि औद्योगीकरण हमारी बेकारीका हल नहीं है, तो फिर यह सवाल अठता है कि अपनी जनताके लिये पूरा औद्योग पानेका अपुय क्या है। जिस प्रश्नका अत्तर सिद्धान्तकी दृष्टिसे यही है कि हमें उत्पादनके ऐसे अपुयोंका अवलम्बन करना चाहिये, जो बड़े-बड़े यंत्रोंकी वजाय आदमियोंको काम दें। बम्बयी, मद्रास, कलकत्ता जैसे शहरोंकी किसी भी सड़क पर चले जाविये, आपको जैसे कितने ही आदमी बेकार घूमते-फिरते दिखायी देंगे, जिनके पास करनेको कुछ नहीं है। बड़े यंत्र अणुमें मदद नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो बड़े यंत्र अणुके बूतेके बाहर हैं, दूसरे अणुमें बहुत कम लोगोंको काम मिल सकता है। अणुके लिये ऐसे साधन चाहिये जिनके द्वारा वे छोटे-छोटे समुदायोंमें संघटित होकर सस्ते औजारोंकी मददसे अपयोगी वस्तुओंका निर्माण कर सकें। बुनियादी तौर पर इसी तरहकी योजनाकी आवश्यकता है। वह हमारे राष्ट्रीय जीवनके सामान्य ढांचेके भी अनुकूल है, क्योंकि हमारी जनता अिने-गिने शहरोंमें केन्द्रित नहीं है, वह असंख्य गांवोंमें फैली हुयी है। जरूरत यह मालूम होती है कि हम शहरोंमें और गांवोंमें उत्पादनके अनेक छोटे-छोटे सहकारी पद्धति पर काम करनेवाले मंडल बनायें, जो अधिकांशमें सादे यंत्रोंकी मददसे मनुष्य-शक्तिका ही अपुयोग करेंगे। जिसके कारण अक्षमता पैदा होगी और हम बाबा आदमके जमानेमें जा पहुंचेंगे, ऐसा डर रखनेका कोबी कारण नहीं है। आधुनिक विज्ञान और अिजीनियरिंगका कौशल हमारे पास है जिसका अपुयोग ऐसी नयी मशीनरीकी खोजमें किया जा सकता है, जो जिस तरहके कामके बोझको हलका कर दे और अणुसे गृह-औद्योगोंमें काम करनेवाले कारीगरोंके लिये आनंददायी बना दे।

अिन कामोंमें सरकारका भाग कबी तरहकी मदद पहुंचानेका होना चाहिये। अुदाहरणके लिये, वह शुरूमें अणुके लिये आवश्यक पूंजी, तालीम, कच्ची अपुज प्राप्त करनेकी सुविधायें, और यंत्र आदि साधन दे सकती है। वह उत्पादनकी अिन ग्रामोद्योगी पद्धतियोंके सुधारके लिये शोधकी व्यवस्था करा सकती है। अणुसे जिस बातकी सावधानी रखनी होगी कि बड़े पैमाने पर उत्पादन करनेवाले भारतीय या विदेशी कारखानेदारोंकी प्रतियोगिताके कारण ये छोटे-छोटे सहकारी औद्योग नष्ट न हो जायं। जूतोंके औद्योगका अुदाहरण लीजिये, जो कि गृह-औद्योगकी तरह किया जा

सकता है। यदि उसे गृह-अधोगकी तरह बढ़ानेका निर्णय किया जाय, तो संक्रमण कालमें जब कि उसके लिये लोगोंको तालीम देकर तैयार किया जा रहा हो और उसमें सुधारकी कोशिश हो रही हो, बड़े पैमाने पर चलनेवाले जूता-अधोगकी बता देना होगा कि वह अब अमुक अवधि तक ही चलेगा। जिस बीचमें फैक्टरी और हाथके बनाये हुअे मालकी कीमत, फैक्टरीके माल पर लेवी लगाकर और हाथके मालको आर्थिक मदद देकर, समान कर देनी चाहिये। इसी तरहकी नीति विदेशसे आनेवाली और दूसरी चीजोंके विषयमें भी बरती जा सकती है। जिस नीतिसे केवल अणु चीजोंको मुक्त किया जाय, जो अभी भारतमें नहीं बन सकती।

जिसके सिवा, गृह-अधोग और ग्रामोद्योगोंसे अणुमें काम करने-वालोंको पूरा मेहनताना मिलने लगे, जिसके लिये यह आवश्यक है कि कीमतोंका नियंत्रण किया जाय। आज मध्यम वर्गके शिक्षित लोग बेकारोंकी संख्या बढ़ा रहे हैं, उसका कारण सिर्फ यही नहीं है कि अणुकी शिक्षा किताबी होती है और पढ़ने-लिखनेके सिवा अणुमें कोभी दूसरा काम नहीं आता है। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि छोटे अधोगोंसे अणुमें पर्याप्त आजीविका नहीं मिलती। अगर हम चाहते हैं कि वे गांवोंमें लौटें, तो खेती और ग्रामोद्योगोंको अधिक लाभकारी बनाना होगा। तो जो सरकार शिक्षित लोगोंको वापस गांवोंमें भेजना चाहती है, उसे कीमतोंका दृढ़ नियंत्रण अवश्य करना चाहिये, ताकि अणुमें ग्रामोद्योगोंसे आजीविका मिलने लगे। यह बहुत अजीब मालूम होता है कि जिस देशमें शिक्षितोंकी संख्या अितनी कम है, वहां अणुमें अितनी बेकारी हो। उसका एकमात्र कारण यही है कि ब्रिटेन या अमेरिकाकी तरह यहां शिक्षितोंको जैसे स्वतंत्र अधोग, जिनसे वे अपनी जीविका अुपाजित कर सकें, प्राप्त ही नहीं होते। अगर अणुमें उसे अधोग मिलते होते, तो निश्चय ही वे सरकारमें या व्यापारी पेड़ियोंमें नौकरियां नहीं ढूंढते फिरते।

सरकार खुद काफी बड़ी खरीदार है। अगर वह जहां तक संभव हो ग्रामोद्योगों और गृह-अधोगोंके ही मालका अुपयोग करनेकी नीति अख्तियार करे, तो यह भी अणुमें मदद पहुंचाने और प्रोत्साहन देनेका एक बड़ा तरीका हो सकता है।

बड़ी बात तो यह है कि सरकारका संचालन जैसे लोगोंके हाथमें होना चाहिये, जिन्हें ग्रामोद्योगों और गृह-अधोगोंमें पूरा विश्वास हो। उसे राष्ट्रका सार्व आर्थिक जीवन ग्रामोद्योगों और गृह-अधोगोंकी बुनियाद पर खड़ा करनेकी कोशिश करनी चाहिये। यह नयी आर्थिक व्यवस्था जब तक मजबूतीसे जम न जाय, तब तकके लिये हो सकता है कि उसे जिसकी रक्षाके लिये 'लीह-दीवार' खड़ी करनेकी जरूरत पड़े और अगर ऐसी जरूरत जान पड़े, तो उसे अणुमें भी हिचकना नहीं चाहिये। जब तक वह जिस तरहके क्रांतिकारी कदम नहीं अुठाती, तब तक अपने लोगोंके लिये पूरा काम-धन्धा मुहैया कर सकनेकी आशा बहुत ही कम समझना चाहिये।

(अंग्रेजीसे)

भारतन् कुमारप्पा

भावी भारतकी अेक तसवीर

किशोरलाल मशरुवाल

कीमत १-०-०

डाकखर्च ०-४-०

भूदान-यज्ञ

विनोबा भावे

कीमत १-४-०

डाकखर्च ०-६-०

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद-९

बापू और जमीनकी समस्या

जमीनकी समस्या शायद हमारे देशके सामने खड़ी आजकी सबसे बड़ी और सबसे पेचीदा समस्या है। बापू जिसके प्रति बड़े जाग्रत थे और जब कभी मौका आया अणुहोंने जिस समस्या पर अपने विचार प्रकट किये।

६ फरवरी, १९३० के 'यंग अिडिया' में लिखते हुअे अणुहोंने कहा था :

“अहिंसाके रास्तेमें सबसे बड़ी रुकावट हमारे बीच अणु देशी हितोंकी मौजूदगी है, जो ब्रिटिश हुकूमतके कारण पैदा हुअे हैं। ये हित हैं देशके धनी लोगों, स्ट्रेटवाजों, जमींदारों, कारखानेदारों और जैसे ही दूसरे लोगोंके। ये सब लोग हमेशा जिस बातको महसूस नहीं करते कि वे आम-जनताका खून चूस कर जी रहे हैं; और जब वे यह महसूस करते हैं, तब अपने ब्रिटिश मालिकों जैसे ही कठोर और निर्दय हो जाते हैं, जिनके हाथके खिलौने और दलाल वे सब हैं। . . . अणुके लिये यह समझना कठिन नहीं होना चाहिये कि हमारे लाखों-करोड़ों देशबंधु भूखों मर रहे हों तब लाखों-करोड़ों रुपये जमा करना महापाप है; और जिसलिये अणुमें अपनी यह दलाली छोड़ देनी चाहिये। कोभी भी मालिक आज तक अपने वफादार अजेन्टोंकी मददके बिना सफलतासे काम करते नहीं देखा गया है।”

जिसके बाद आया दांडी-कूच, नमक-सत्याग्रह, गांधी-अविन करार और फिर आजी कराची-कांग्रेस, जिसमें बुनियादी अधिकाओंका प्रस्ताव पास हुआ। अणु सबने जमींदारोंकी युगों पुरानी शांतिको भंग कर दिया, जिनके प्रतिनिधि गांधीजीसे मिले और अपनी चिन्तायें गांधीजीके सामने रखीं। अणुहोंने यह कहते हुअे जमींदारोंका डर दूर कर दिया :

“मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बिना सही कारणके मैं सम्पन्न वर्गोंकी खानगी मिलिकयत छीननेमें हिस्सा नहीं लूंगा। मेरा ध्येय आपके पास पहुंच कर आपका हृदय-परिवर्तन करनेका है, ताकि आप अपनी सारी खानगी मिलिकयत अपने काश्तकारोंके ट्रस्टियोंके नाते अपने पास रखें और मुख्यतः अणुकी कल्याणमें उसका अुपयोग करें। . . .”

('सिलेक्शन्स फ्रॉम गांधी', पृष्ठ ८८)

लेकिन साथ ही गांधीजीने अणुमें एक चेतावनी भी दे दी :

“मैं आपसे कहूंगा कि आपकी जमीन पर जितना अधिकार आपका है, अतना ही आपकी रैयतका भी है। आप अर्पना पैसा अैश-आराम या तड़क-भड़कका जीवन बितानेमें नहीं अुड़ा सकते; वह पैसा आपको अपनी रैयतके भलेके लिये खर्च करना चाहिये। अेक बार अगर आपने अपनी रैयतको आपके साथ पारिवारिक संबंध अनुभव करने दिया और यह विश्वास दिला दिया कि परिवारके सदस्योंके नाते अणुके हितोंको आपके हाथों कभी नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो आप निश्चित मानिये कि अणुके और आपके बीच न तो कोभी संघर्ष होगा और न वर्ग-विग्रहकी नीबत आयेगी।” (बड़ा टाइप हमारा है) ('सिलेक्शन्स फ्रॉम गांधी', पृष्ठ ८९)

बापूके शब्दोंमें अेक आदर्श जमींदार गांवोंके गलत नामसे पुकारे जानेवाले भारतके गोबरके ढेरोंको आसानीसे 'शांति, स्वास्थ्य और सुखके धामों' में बदल सकता है, बशर्ते :

“वह अपनी रैयतके घनिष्ठ संपर्कमें आवे, अणुकी जरूरतोंको जाने और अणुमें निर्जीव बनानेवाली निराशाके बदले अणुमें आशाका संचार करे। वह खुद गरीब बन जायगा, ताकि उसकी रैयतके जीवनकी जरूरतें पूरी हो सकें। वह

अपनी देखभालमें रहनेवाली रैयतकी आर्थिक स्थितिका अध्ययन करेगा, उन्हें शिक्षा देनेके लिये स्कूल खोलेगा, जिनमें वह रैयतके बच्चोंके साथ ही अपने बच्चोंको भी शिक्षा दिलायेगा। वह गांवके तालाब और कुओंको शुद्ध करेगा। वह खुद सड़कें और पाखाने साफ करके, रैयतको अपनी सड़कें और पाखाने साफ करना सिखायेगा।” (यंग जिडिया, ५-१२-२९)

बिस तरह वे चाहते थे कि जमींदार किसानोंको अपने परिवारके सदस्य मानें। जमीनकी मालिकीके बारेमें बापूके विचार बिलकुल स्पष्ट थे। मजी १९३९ में वृन्दावन (बिहार) नामक स्थान पर एक सार्वजनिक सभामें अंकट्टे हुअे किसानोंसे अन्होंने कहा था :

“मैं मानता हूँ कि जो जमीन तुम जोतते हो उस पर तुम्हारा अधिकार होना चाहिये। लेकिन वह अेकदम तुम्हारी नहीं हो सकती, तुम उसे जमींदारोंसे जबरन नहीं ले सकते। इसका अेकमात्र रास्ता अहिंसा है, अपनी शक्तिको पहचानना है।” (मोटे टाजिप हमारे हैं) (हरिजन, २०-५-३९)

अेक दूसरे स्थान पर अन्होंने कहा है :

“सच्चा समाजवाद हमें अपने पुरखोंसे विरासतमें मिला है, जिन्होंने हमें सिखाया है — सब भूमि गोपालकी। फिर सीमारेखा कहाँ है? आदमी ही उस रेखाका बमानेवाला है, जिसलिअे वह उसे मिटा भी सकता है। गोपालका शाब्दिक अर्थ है गायेँ पालनेवाला; उसका अर्थ अीश्वर भी है। आजकी भाषामें उसका अर्थ है राज्य यानी जनता। इस बातको सिद्ध कर दिखानेकी जरूरत नहीं कि आज जमीन जनताके अधिकारमें नहीं है।” (हरिजन, २-१-३७)

अब जनता — लोग — फिरसे जमीनके मालिक कैसे बनें? बापूको पक्का विश्वास था कि वे फिरसे जमीनके मालिक बनेंगे :

“अिस बारेमें मुझे कोअी शक नहीं कि हम अिस समस्याका वैसे ही अच्छा हल खोज सकते हैं, जैसा कि दूसरा कोअी राष्ट्र खोज सकता है, अिसमें रूस भी शामिल है। और अैसा हम बिना हिंसाके कर सकते हैं। . . . जमीन और सारी जायदाद उसकी है, जो उस पर काम करे। (मोटे टाजिप हमारे हैं) (हरिजन २-१-३७)

अिस हलकी अेक झलक हमें आगाखान महलमें हुअी बापू और मीराबहनकी बातचीतसे मिल सकती है। मीराबहनने अेक दिन बापूसे पूछा : “स्वराज्यके बाद जमीनका बंटवारा कैसे किया जायगा ?”

बापूने जवाब दिया : “जमीन पर राज्यका अधिकार होगा। मैं मानता हूँ कि स्वराज्यमें शासन अैसे लोगोंके हाथमें होगा, जो अिस आदर्शमें श्रद्धा रखते हैं। अधिकतर जमींदार स्वेच्छासे अपनी जमीन छोड़ देंगे। जो अैसा नहीं करेंगे, अन्हें कानूनके मातहत अैसा करना पड़ेगा। (मोटे टाजिप हमारे हैं) (हरिजन, २९-१२-५१)

थोड़ेमें, अपूरके अुद्धरणोंसे यह स्पष्ट मालूम होता है कि बापू तीन सिद्धान्तोंके आधार पर भारतकी भूमि-समस्या हल करना चाहते थे :

१. ‘सब भूमि गोपालकी’;
२. जमीन और सारी जायदाद उसकी है, जो उस पर काम करे;
३. जमींदार स्वेच्छासे अपनी जमीन छोड़ देंगे। अहिंसक कार्यकर्ताका ध्येय हमेशा जमींदारोंका हृदय-परिवर्तन करनेका होना चाहिये।

बड़े आश्चर्य और आनन्दकी बात है कि आचार्य विनोबाके भूदान-यज्ञ आन्दोलनके ये ही तीन बुनियादी सिद्धान्त हैं। शायद जिसीलिअे विनोबा कहते हैं कि भूदान-यज्ञ बापूका ही काम है, और वे जीवनभर बापूका ही काम करते रहे हैं। आगामी गांधी-जयन्तीके दिन हम रचनात्मक कार्यकर्ता अपने दिलोंको टटोलें और अपने आपसे पूछें : “हमें बापूका नाम प्यारा है या काम? अगर हमें अुनका काम प्यारा है, तो भूदान-यज्ञके लिअे हम क्या कर रहे हैं?”

अिलाहाबाद, २१-९-५३
(अंग्रेजीसे)

सुरेश रामभायी

गांधी, कोन्स और चरखा

पश्चिमके लोग गांधीको यंत्र-विज्ञानकी प्रगतिका शत्रु समझते रहे हैं, गोया कोअी पुरानी चालका रमता जोगी हाथमें चरखा लिअे, धूमता-धूमता २०वीं सदीमें निकल आया हो।

अुनके मन पर पड़ी हुअी गांधीकी यह छाप कितनी सही है? गांधीने कभी अर्थशास्त्री होनेका दावा नहीं किया। आर्थिक सवालोकें प्रति अुनका दृष्टिकोण अुनके दर्शनकी पृष्ठभूमिके प्रसंगमें ही समझा जा सकता है।

अुनके मतानुसार विदेशोंके साथ व्यापार, औद्योगिक सम्बन्ध, व्यापारी पेढियोंके परिमाण और अुनके स्थान, या किसी भी आर्थिक कार्यके निर्णयकी अेक ही कसौटी थी : वह हिंसाकी संभावनाको बढ़ाता है या कम करता है? सम्यताकी मापका अुनका यही मापदण्ड था।

अिस वृत्तिका अेक अुदाहरण लीजिये; सन् १९५० में अखिल भारत कांग्रेस कमेटीने ‘हमारा तात्कालिक कार्यक्रम’ नामकी अेक पुस्तिका प्रकाशित की थी। अिस कार्यक्रमका, जो कि अुसने अपनी सिफारिशके साथ योजना-कमीशनको सौंपा था, अेक मुख्य अुद्देश्य ‘मानव व्यक्तित्वका सर्वांगी विकास’ बताया गया था।

किसी आर्थिक कार्यक्रममें, जिसके अुद्देश्योंमें पूंजीके निर्माण और खादके लिअे मृत पशुओंके अपुयोग आदि विषयोंकी चर्चा हो, मानव-व्यक्तित्वके सर्वांगी विकासकी बात भी कही जाय — तो पश्चिमके लोगोंको यह चीज बड़ी अटपटी मालूम होगी।

अिस तरह गांधी व्यावहारिक राजनीतिज्ञ भी थे और आदर्शवादी व्यक्ति भी थे। अन्होंने खुद कहा है कि “मैं कोअी-स्वप्नसेवी पागल नहीं हूँ, व्यावहारिक आदर्शवादी हूँ।”

२

मेरा खयाल है कि गांधीके विषयमें पश्चिमके लोगोंकी अुक्त धारणाका आधार अुनका प्रारम्भिक जीवन है, जबकि गांधी आधुनिक सम्यताकी सारी चीजोंकी निन्दा करते थे।

बादमें गांधीने प्रचलित सम्यताके लाभोंके खिलाफ अपने विरोधमें कुछ संशोधन कर लिया था। तब भी यह सवाल रह जाता है कि क्या चरखेके विषयमें अुनके अुत्साहमें, बड़े अुद्योगोंके विरोधमें और भारतीय किसानों तथा भारतीय गांवोंकी ही अपना-मुख्य लक्ष्य बनाये रखनेमें, वस्तुस्थितिके दर्शनकी कमी प्रगट होती है।

अिस प्रश्नका अुत्तर देनेके पहले गांधीकी जीवन-दृष्टि और भारतीय परिस्थितियोंसे सम्बद्ध दो मान्यतायें हमें स्वीकार कर लेनी चाहिये।

पहली मान्यता यह है कि आर्थिक प्रवृत्तिका अंतिम अुद्देश्य अैसी परिस्थितियोंका निर्माण करना है, जो मनुष्यकी आध्यात्मिक अुन्नति, अुसकी स्वतंत्रता, व्यक्तित्वके विकास और कर्तव्य-बोधमें ज्यादासे ज्यादा अनुकूल हों।

दूसरी मान्यता यह है कि आलस्य और बेकारीकी अथवा आर्थिक स्वाधीनताके सम्पूर्ण/अभावकी स्थितिमें अिन अुद्देश्योंकी सिद्धि नहीं हो सकती।

अिन मान्यताओंसे यह निष्कर्ष निकलता है कि सारी आर्थिक समस्याओंमें बेकारी सबसे ज्यादा गम्भीर सवाल है और अँसा मालूम होता है कि गांधीने अिस बुराअीको दूर करनेका संकल्प कर लिया था।

३

आगे बढ़े हुअे अुद्योग-प्रधान देशोंमें ज्यादा सुधरे हुअे यंत्रों और बेहतर संघटनसे आय बढ़ती है, कीमतें कम होती हैं और सप्ताहमें कामके दिन घटते हैं।

यंत्रोंमें हुअी अुन्नतिसे जो अस्थायी बेकारी अुत्पन्न होती है, अुसे लोगोंको दूसरे धंधोंमें जानेके लिये प्रोत्साहन और आवश्यक तालीम देकर दूर कर दिया जाता है।

अिसलिये स्व० लार्ड कीन्स और 'सब लोगोंको पूरा काम-धन्धा' देनेकी अर्थनीतिके अुनके अनुयायियोंने अपना ध्यान असंबद्ध राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थासे होनेवाली बेकारी पर ही केन्द्रित किया।

अँसा माना जाता था कि वह राष्ट्रकी आय और खर्चके वितरणमें संतुलनके अभावसे पैदा होती है, क्योंकि अुससे मांगमें कमी आती है और बचतमें बढ़ती होती है। अिस परिस्थितिके सुधारके लिये खर्च बढ़ाना चाहिये, व्यर्थ पड़ी हुअी बचतको खींचकर व्यवसायोंमें नियोजित करना चाहिये और बेकार पड़ी हुअी मशीनोंका अुपयोग करना चाहिये।

कीन्सके नये अर्थशास्त्रका सम्बन्ध मुख्यतः अुत्पादनकी अतिरिक्त क्षमता और सरकार तथा अुद्योगों द्वारा बचतका अुत्पादक कामोंमें अुपयोग करनेकी अुपर्याप्त मांगसे ही था।

किन्तु हिन्दुस्तानकी बेकारीमें पश्चिमी ढंगके अिस अर्थ-रचनागत असंतुलनका बहुत कम हाथ है। अुसकी बेकारी अेक अलग किस्मकी है।

४

भारतकी ३६ करोड़ आबादीमें प्रति ५ आदमियोंमें से ४ की जीविकाका आधार खेती पर है। औद्योगिक मजदूरोंका अेक बहुत छोटा हिस्सा बड़े पैमाने पर चलनेवाले अुद्योगोंमें काम करता है।

खेतीका काम मौसम पर ही होता है, यानी, फसलकी कटनीके बाद वर्षा आने तक प्रतिवर्ष करीब ४-५ महीने खेतों और जंगलोंमें करीब १२ करोड़ मजदूर निरुद्यम बैठे रहते हैं।

कीन्सके शब्दोंमें अिन मजदूरोंको 'विश्व बेकार' (involuntary unemployed) कह सकते हैं।

भारतकी यह मौसमके अनुसार चलनेवाली 'विश्व बेकारी' कितनी बड़ी है, पश्चिमके लोग अुसकी ठीक कल्पना भी नहीं कर सकते। संख्याकी दृष्टिसे देखें, तो ब्रिटेनमें खेतों, कार्यालयों या फेक्टरियोंमें अेक भी स्त्री या पुरुष दो साल तक काम न करे अँसा माना जाय, तो हमें भारतकी अिस भयानक आर्थिक समस्याकी विशालताका कुछ अन्दाजा मिलेगा।

अिस तरह खयाल कीजिये कि अिस बेकारीसे भारतकी जनताको कितना शारीरिक और मानसिक त्रास होता होगा।

कीन्सने भारतमें फैली हुअी अिस विशेष प्रकारकी बेकारीका विचार तो नहीं किया, लेकिन अर्थशास्त्रीके नाते अुनकी आरंभिक प्रवृत्तियोंसे भारतका काफी सम्बन्ध था।

सिविल सर्विसमें जाने पर अुनकी पहली नियुक्ति अिण्डिया आफिसमें ही हुअी थी। अुनकी पहली प्रकाशित रचनाओंका विषय

भारत ही है। अिन रचनाओंमें 'भारतीय मुद्रा और व्यावसायिक पूंजी' नामकी अेक पुस्तक है, जो १९१३ में प्रकाशित हुअी थी, 'भारतमें हालमें हुअी कुछ आर्थिक घटनायें' नामक अेक लेख है, जो मार्च, १९०९ के 'अिकॉनामिक जरनल' नामक सामयिकमें निकला था, और १९११ में प्रकाशित 'भारतमें आर्थिक परिवर्तन' नामक पुस्तककी समालोचना है।

अिस आलोचनाका अेक अंश अिस प्रकार है, "लेखक अेक पूर्वी देशके बारेमें लिख रहा है, लेकिन अुसकी आर्थिक कसौटियां पश्चिमकी हैं। किसी राष्ट्रकी साधन-सम्पत्तिका अुत्तम विनियोग और अुपयोग अिन परिस्थितियों पर निर्भर होता है, अुनका अुसे पूरा ज्ञान नहीं है। पुस्तकमें बम्बअी और कलकत्ताकी मिलों पर अुचितसे अधिक ध्यान दिया गया है।"

आगे चलकर वे कहते हैं कि अिन मिलोंसे भारतकी सुख-समृद्धिमें शायद ही कोअी मदद हो सकती है। अुसका निर्माण तो भारतकी बुद्धि और पूंजीका अुपयोग अुसके खेतों और गांवों पर करनेसे ही होगा। कहनेकी जरूरत नहीं कि यह बात आज भी अुतनी ही सही है, जितनी सन् १९११ में थी।

५

बचतके खिलाफ दो दुष्ट चक्र कार्य करते हैं। मौसममें मिलने वाले खेतीके कामसे आय बहुत थोड़ी होती है, और अुससे साल-भरका खर्च चलाना पड़ता है, अिसलिये बचत कुछ नहीं होती। चूंकि बचत नहीं होती अिसलिये सुधारोंके लिये जो पूंजी चाहिये वह नहीं मिलती और सुधारोंके बिना अुत्पादन तथा आय बढ़ नहीं सकती।

दूसरा दुष्ट चक्र पहलेमें से ही अुत्पन्न होता है। बोनसे लगाकर फसल आने तकके समयका अिन्तजाम करनेके लिये किसानोंको ऋण चाहिये।

चूंकि यह आवश्यकता पूरी करने लायक बचत होती ही नहीं है, अिसलिये ऋणके लिये बहुत अँचा ब्याज चुकाना पड़ता है।

अिस तरह बचतके अभावमें अँची ब्याज-दर देना पड़ती है, अँची ब्याज-दरके कारण किसानोंकी आय कम होती है, और कम आयके कारण बचतके लिये अवकाश नहीं होता; और फिर बचतकी कमीमें अँची ब्याज-दर देना पड़ती है।

अिन असंख्य बेकारोंके लिये भारतके पास कोअी अँसा अुद्योग नहीं जिसके जरिये वह अुन्हें काम दे सके। गांव पूरी तरह शहरों पर अवलम्बित हैं।

कर्ज जो मुश्किलसे मिलता है और जिसके लिये अुन्हें अितना ज्यादा ब्याज देना पड़ता है, शहरोंसे आता है।

गांवोंमें पैदा होनेवाली वस्तुओंकी गांववालोंको बहुत कम कीमत मिलती है, और वे सब शहरोंमें विकती हैं। नयी आपत्तियोंके खिलाफ कीन्सके बताये हुअे रक्षाके अुपायों पर अंमल किया जाय, अुसके पहले भारतमें फैली हुअी बेकारीको कम करनेकी जरूरत है।

खर्च बढ़ानेकी कीन्सकी पद्धतिकी खास बात यह है कि वह बेकारीके खिलाफ तभी सफल होती है, जब अुसका अुपयोग बड़े प्रमाण पर और बेकारी फैलनेके पहले किया जाय।

कीन्स यह मानकर चलते हैं कि मजदूर वर्ग गतिशील है—अेक धन्धा छोड़कर दूसरे धन्धेमें जल्दी लग सकता है और बहुत-सी पूंजी बेकार पड़ी हुअी है। लेकिन भारतकी अवस्था अिससे भिन्न है; वहां पूंजीकी कमी है और अुसकी बेकार जनता अपनी जगह पर दुःखसे बंधी हुअी पड़ी है, वहांसे हट नहीं सकती है।

भारतके लिये तो जैसे अुपायोंकी जरूरत है, जो बेकारोंको काम दें, पूंजीकी जरूरत कम करें, गांवोंमें स्वावलम्बनके जरिये जीवन-मान बढ़ायें और हिंसाका खतरा कम करें—जिसे गांधी बहुत महत्त्व देते थे।

जो माल कम है उसकी मांगसे हिंसा पैदा होती है। जिसलिये जिसका अुत्पादन बढ़ाकर मांग पूरी की जा सकती है, उसे तरजीह देनी चाहिये।

गांधीके अर्थशास्त्रमें कमी (scarcity)को निर्णायक महत्त्व प्राप्त है, अुत्पादन पर लगनेवाले खर्च या कार्यक्षमताको नहीं।

अभी हालमें जो परिस्थितियां प्रेकाशमें आयी हैं, उन्हें देखते हुअे जिस नीतिका महत्त्व प्रगट होता है। अैसा मालूम हुआ है कि आवश्यक वस्तुओंकी तंगी दुनियाके अुत्पादन, व्यापार और सबको पूरा काम देनेके लक्ष्यके लिये खतरा पैदा करनेवाली है।

जिस परिस्थिति पर काबू पानेके लिये गांधीकी स्थानीय साधन-सम्पत्तिका अुपयोग करनेकी सूचना जरूर सहायक हो सकती है।

गांधीके अनुसार हल चलानेके लिये तेलकी बजाय बैलोंका आश्रय लेना अधिक हितकर है, क्योंकि अगर भारत अेक बार बैलोंका आश्रय छोड़ दे, तो तेल न मिलनेकी परिस्थिति अुत्पन्न होने पर उसे विनाशका ही मुकाबला करना पड़ेगा।

अन्नके अुत्पादनमें कार्य-शक्तिके साधनोंकी तरह जो महत्त्व बैलों और मनुष्योंका है, वही कपड़ेके अुत्पादनमें चरखेका है।

कपड़ेकी मिलें अपना कपड़ा बेचनेके लिये बाजारों पर और लोहा, विदेशी रुबी और सूत आदि अैसी सामग्री पर निर्भर करती हैं, जिनमें तंगीकी स्थिति आ सकती है।

लेकिन चरखेके लिये लगनेवाली सामग्रीकी अुचित व्यवस्था हो सकती है।

चरखा स्थानिक अुत्पादन करता है और स्थानिक साधनों तथा बाजारों पर आधार रखता है। जिसलिये उसमें धोखा, सट्टा, संघर्ष और हिंसाकी संभावना बहुत कम हो जाती है।

चूंकि मिलोंका कपड़ा खरीदनेमें जो पैसा लगता था वह अब बचेगा, जिसलिये गांववालोंको कर्जकी अुतनी आवश्यकता नहीं रहेगी तथा अुतनी हद तक वे व्याजसे भी मुक्त हो जायेंगे।

चरखा बेकारोंके व्यर्थ जानेवाले घंटोंका अुपयोग करेगा और अुनकी नैतिक अवनतिको रोकेगा।

जिस तरह चरखा भारतकी ग्रामीण जनताके दुःखोंका सबसे बड़ा निवारक सिद्ध होता है। वह भारतके गांवोंमें बसनेवाली असंख्य जनताको विनाशसे बचानेवाला साधन है।

गांधी जोर देकर कहते थे कि जिसे कोअी दूसरा अधिक आमदनीवाला काम मिलता है, वह उसे छोड़कर चरखा अपनावे, अैसा मेरा मतलब नहीं है:—

“चरखेके लिये मेरा अितना ही दावा है कि खेतीके साथ कोअी अुपयोगी पूरक अुद्योग न होनेके कारण भारतकी जनताके अेक बड़े भागको सालमें लगभग ६ माह मजबूरन बेकार रहना पड़ता है और परिणामस्वरूप भूखों मरना पड़ता है। यह भारतकी सबसे बड़ी समस्या है और चरखा ही उसका अेकमात्र तात्कालिक, व्यावहारिक और स्थायी हल है।”

अुसी सिलसिलेमें वे आगे कहते हैं, “अगर ये दो बातें न होतीं तो भारतके राष्ट्रीय जीवनमें चरखेका कोअी स्थान न होता।”

* * *

चरखेने अेक काम और किया। शरीर-श्रमको बौद्धिक श्रम या यंत्र-श्रमसे हलके दर्जेका माना जाता है; जिसके सिवा बेकारी और भुखमरीके स्थायी वातावरणमें लोगोंका जो नैतिक ह्रास होता है, अुनके मनमें जो अुदासीनता घर कर लेती है, अुसके कारण शरीर-श्रमका मूल्य गिर जाता है। अिन परिस्थितियोंमें चरखेने शरीर-श्रमकी प्रतिष्ठा जमानेका काम किया, वह शरीर-श्रमका प्रतीक बन गया।

जहां पश्चिमके लोग अुसे औद्योगिक पिछड़ेपन, अक्षम अुत्पादन और यांत्रिक प्रगतिके निदनीय विरोधका प्रतीक मानेंगे, वहां गांधीकी नजरमें वह निष्क्रियता पर कार्यकी, निर्जीवता पर जीवनकी, विखरने और विनष्ट होनेकी प्रक्रिया पर कुटुम्ब-संस्था और ग्राम-समाजकी अेकताकी विजयका चिन्ह था।

चरखा अहिंसाकी विजय सूचित करता है। अेक बार जब किसीने गांधीसे कहा, “मुझे अीश्वरका प्रत्यक्ष दर्शन कराविये”, तो अुन्होंने अुत्तर दिया, “तुम्हें वह चरखेमें मिलेगा।”

पश्चिमके विचार भारतकी परिस्थितियोंके अनुकूल बनें, जिसके लिये अुनमें सुधार करनेकी आवश्यकता होगी।

जिस देशमें असंख्य बेकार पड़े हुअे हैं, वहां अुद्योगोंमें मजदूरीकी बचत करनेवाले यंत्रोंका बाहरसे आयात करने या देशमें ही बनानेके लिये अपनी दुर्लभ साधन-सामग्री खर्च करनेको क्या सही अर्थनीति कह सकते हैं?

गांधीका अुत्तर था कि अैसी परिस्थितियोंमें सच्ची अर्थनीति गृह-अुद्योगकी ही हो सकती है। ग्रामवासी गृह-अुद्योग चलायेंगे या स्थानीय कच्चे मालका अुपयोग करके साबुन, आटा, कागज आदि बनायेंगे।

लेकिन अिन गृह-अुद्योगोंके बाद भी काफी बेकारी बच रहती है। अैसे बेकारोंको काममें लगानेके लिये छोटे पैमानेके ग्रामोद्योग शुरू करने होंगे।

* * *

यह सवाल अुठता है कि यह व्यवस्था गांधीके विचारोंके साथ मेल खाती है या नहीं? गृह-अुद्योगोंके स्वरूप और अुद्देश्यके विषयमें बहुत कुछ अम तो जिसलिये पैदा होता है कि मशीनके प्रति गांधीके दृष्टिकोणका यथेष्ट विश्लेषण नहीं किया गया है।

गांधी अेक समय हर प्रकारके यंत्रके खिलाफ थे। वे अुसे आधुनिक सम्यताकी अेक प्रधान वस्तु और महापाप जैसा मानते थे। लेकिन बादमें अुनके दृष्टिकोणमें काफी परिवर्तन हो गया था।

अुन्होंने कहा था, “जो काम करना है, अुसे करनेके लिये जब मनुष्योंकी संख्या कम हो, तब यंत्रीकरण ठीक है। लेकिन कामके लिये जितने चाहिये अुससे ज्यादा आदमी मिलते हों, तब वह अनिष्ट है।”

जब वह बहुतांको नुकसान पहुंचाकर थोड़ेसे लोगोंको माला-माल करता हो, तब वह खराब है। किन्तु यदि अुसका अुपयोग सारी जनताकी भलाअीके लिये हो तो वह अच्छा है।

[५-८-५३ के ‘अिन्डियन अेक्सप्रेस’ से] अेस० मूस (अंग्रेजीसे)

| विषय-सूची | पृष्ठ |
|-------------------------------|-----------------------|
| आचार्य कृपलानीसे विनंती | मगनभाअी देसाअी २४६ |
| भूदान-यज्ञ क्यों और कैसे? | श्रीकृष्णदास जाजू २५० |
| शराबबंदी रद्द नहीं की जा सकती | स्वामी सीताराम २५१ |
| बेकारी | भारतन् कुमारप्पा २५२ |
| बापू और जमीनकी समस्या | सुरेश रामभाअी २५३ |
| गांधी, कीन्स और चरखा | अेस० मूस २५४ |